छत्तीसगढ़ शासन
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-//अधिसूचना//-

नया रायपुर, दिनांक 26/08/2013

कमांक एफ 04-02/2013/चौबीस :: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को सम्मान निधि योजना के माध्यम से सम्मान निधि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के कियान्वयन हेतु, राज्य सरकार, एतदद्वारा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यपालक शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ,**- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि नियम, 2013 कहलाएंगे।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "**आयुक्त**" से अभिप्रेत है आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़;

(ख) "**संचालक**" से अभिप्रेत है, संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़;

(ग) "**शासन**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "**वरिष्ठ मीडिया कर्मी**" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत तथा छत्तीसगढ़ राज्य में किसी पत्र पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित नियोजन से सेवानिवृत्त हो चुके हो।

3. **लागू होना**:-ये नियम समस्त मीडिया पर्सन, जो छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत तथा किसी पत्र पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित नियोजन से सेवानिवृत्त हो चुके हो, पर लागू होंगे।

4. **सम्मान निधि की राशि–** (एक) सम्मान निधि की राशि रूपये 5000/– प्रतिमाह होगी।

(दो) संचालक, जनसम्पर्क द्वारा सम्मान निधि की राशि का भुगतान सम्मान निधि गृहिता को चेक/बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

5. **सम्मान निधि की अवधि–** सम्मान–निधि प्रारंभ में 05 वर्ष के लिए दी जायेगी तथा सम्मान–निधि स्वीकृति के 5 वर्ष पश्चात् उपर्युक्त नियम 7 (ज) में उल्लिखित समिति द्वारा सभी प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी तथा सम्मान–निधि आगे जारी रखने के बारे में अनुशंसा की जाएगी।

6. **सम्मान निधि की प्रभावशीलता–** छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत तथा छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी पत्र पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित नियोजन से सेवानिवृत्त हो चुके हो द्वारा मात्र आवेदन जमा करने का अर्थ यह नहीं होगा कि वह सम्मान निधि के लाभ हेतु पात्र है। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा आवश्यक कार्यवाहियाँ पूर्ण करने के पश्चात् सम्मान निधि स्वीकृत करंने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर की तारीख से योजना प्रभावशील होगी।

7. **सम्मान निधि की पात्रता–**

(क) सम्मान–निधि ऐसे पूर्णकालिक अधिमान्य मीडिया कर्मी को प्रदान की जायेगी जो किसी दैनिक/ साप्ताहिक समाचार–पत्र में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहें हो और उनकी आयु 01 जुलाई, 2013 की स्थिति में 62 वर्ष हो। पत्र–पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित नियोजन से वे सेवानिवृत्त हो चुके हों।

(ख) सम्मान–निधि केवल उन मीडिया कर्मियों को दी जायेगी, जिन्हें राज्य शासन से कोई पेंशन सम्मान निधि या अन्य नियमित सहायता प्राप्त नहीं हो रही है तथा वह आयकर–दाता नहीं हो।

(ग) यह पात्रता उन अधिमान्य मीडिया कर्मियों को होगी जो जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ से कम से कम 10 वर्ष अधिमान्य रहे हों।

(घ) एक पत्रकार को प्रतिमाह रूपये पांच हजार तक सम्मान–निधि की पात्रता होगी।

(ड.) अधिमान्य पत्रकार को बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा जिससे उनके बैंक खाते में सम्मान–निधि की राशि जमा की जा सके।

(च)अधिमान्य मीडिया कर्मी पर किसी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए।

(छ) सम्मान–निधि की स्वीकृति के लिए संबंधित मीडिया कर्मी को विहित प्रपत्र में आवेदन तथा शपथ–पत्र संचालक, जनसम्पर्क को प्रस्तुत करना होगा।

(ज) सम्मान–निधि स्वीकृति हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जनसम्पर्क की अध्यक्षता में एक उच्च–स्तरीय निर्णायक मण्डल का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, श्रम विभाग तथा संचालक, जनसम्पर्क निर्णायक मण्डल के पदेन सचिव होंगे। निर्णायक मण्डल प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अनुशंसायें देगा। निर्णायक मण्डल की अनुशंसा मान्य करना शासन के लिए बंधनकारी नहीं होगा।

(झ) सम्मान–निधि की पात्रता स्वीकृति के बाद भी किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यदि लाभार्थी का आचरण पत्रकारिता (मीडिया) के मान्य सिद्धांतों, मानदण्डों के विपरीत पाया जाता है या उनके विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो यह पात्रता समाप्त की सकेगी।

8. इस योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ–मीडिया कर्मियों को सम्मान निधि स्वीकृत कराने हेतु अनुषांगिक कार्यवाही, जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा की जायेगी।

9. राज्य सरकार इन नियमों में कोई भी आवश्यक परिवर्तन करने के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ओ.पी. चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जनसम्पर्क विभाग

Government of Chhattisgarh
Public Relations Department
Mantralaya
Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

// NOTIFICATION //

Naya Raipur, Dated 26-08-013

Number F 04-02/2013/24 : In exercise of the Executive powers conferred by the Constitution of India, the Government of Chhattisgarh, hereby, decides to make following rules to provide Samman Nidhi to varishth media karmi of the State under Samman Nidhi Yojana, namely:-

RULES

1. **Short Title, Extent and Commencement-** (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Varishth Media Karmi Samman Nidhi Niyam, 2013.

   (2) It extends to the whole of Chhattisgarh State.

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions-** In this Rules unless the context otherwise requires,-

   (a) "Commissioner"- means Commissioner, Directorate Public Relations, Chhattisgarh;

(b) "Director"- means Director, Directorate Public Relations, Chhattisgarh;

(c) "Government"- means Government of Chhattisgarh;

(d) "Varishth Media-Karmi" means the person, who resides in Chhattisgarh state and has retired as regular employee of any newspaper, magazine or media channel.

3. **Applicability-** These rules shall be applied to all the media-karmi, who are residing and working in the State of Chhattisgarh and has retired as a regular employee of any newspaper, magazine or media channel.

4. **Amount of Samman Nidhi-**(1) The amount of Samman Nidhi shall be Rs. 5000/-per month.

   (2) Director, Public Relations shall pay the amount sanctioned under 'Samman Nidhi' to beneficiary through cheque / banker's cheque/ demand draft/ or through any other transaction to bank account.

5. **Duration of Samman Nidhi-** Initially, Samman Nidhi shall be provided to the beneficiary for a period of 5 years from the date of its sanction. After completion of five years, the committee as mentioned in sub-rule (h) of Rule 7 shall review all the cases and accordingly recommend further continuation.

6. **Applicability of Samman Nidhi Yojana-** Mere submission of an application does not authorizes a person who resides in the State of Chhattisgarh and has retired as

a regular employee of any newspaper, magazine or media channel the right to avail benefits of Samman Nidhi Yojana. The scheme shall come into force only after the completion of necessary formalities by Directorate, Public Relations and from the date on which it has been signed.

7. **Eligibility for Samman Nidhi-**

a) Samman Nidhi shall be provided to those full-time accredited media karmi, who have rendered their services to any Daily/Weekly Newspaper as salaried employees, for at least 20 years and who are of 62 years of age as on 1 July, 2013, they should have retired as a regular staff of any newspaper, magazine or media channel.

b) Only those media karmi shall be made eligible for Samman Nidhi, who are not receiving any Pension Samman Nidhi or any other regular financial aid from the State Government. Moreover, he/she should not be an income-tax payee.

c) Only those media karmi shall be made eligible for Samman Nidhi who have been accredited by Directorate, Public Relations, Chhattisgarh for a minimum period of 10 years.

d) A eligible media-karmi shall be entitled for receiving Rs 5000 per month as Samman Nidhi.

e) Accredited media karmi shall open a Savings account in any bank so that the amount sanctioned under Samman Nidhi can be transferred to the bank account.

f) The accredited media karmi shall not have any criminal case lodged against him.

g) For sanction of Samman Nidhi, the media karmi concerned shall submit an application to Director, Public Relations, in prescribed form along with an affidavit.

h) For the purposes of sanction of Samman Nidhi, a high level committee of four members shall be constituted under the Chairmanship of Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Relations. The members of the committee shall be Secretary Department of Finance, Secretary Department of Labour and Ex-officio Secretary-Director Department of Public Relations. The committee shall finalize the selection of the applicants. However, the Government is not bound to accept all the recommendations given by the committee.

i) The eligibility for Samman Nidhi could be terminated at any time after its being approved; if in any case it is found that the conduct of beneficiary is against the ethics and standards of journalism or any criminal offence is registered against the beneficiary.

8. All the relevant actions for sanction of amount under Samman Nidhi to the eligible varishth media karmi under this scheme shall be taken by Directorate Public Relations.
9. State Government will be the competent authority to change or modify the rules as and when required.

By order and in the name of the

Governor of Chhattisgarh,

(O.P. Choudhary)
Deputy Secretary
Government of Chhattisgarh
Public Relations Department